



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021 (ASVINA 9, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021

संख्या 50/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, -

क. अनुसूची I में - 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 71 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए हैं";
------	------	---

(ii) क्रम संख्या 138 से 148 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 186 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को प्रदाय किया गया बायो-डीजल";
-------	------	--

(iv) क्रम संख्या 187क तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 234 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(232) पेम्बोलिजुमाब (कीटूडा)";

(vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2), तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(3) दिव्यांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट";

ख. अनुसूची II – 6% में,-

- (i) क्रम संख्या 80क के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"बायो-डीजल [हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को प्रदाय किए गए बायो-डीजल के अलावा]";
- (ii) क्रम संख्या 122 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 127 से 132 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 201 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"201क	84, 85 या 94	निम्नलिखित अक्षय ऊर्जा यन्त्र और पुर्जे उनके विनिर्माण के लिए— (क) जैव गैस संयंत्र (ख) सौर ऊर्जा आधारित यन्त्र (ग) सौर ऊर्जा जनरेटर (घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर (डब्ल्यूओईजी) (ङ) ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों से अपशिष्ट (च) सौर लालटेन/सौर लैंप (छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा यन्त्र/संयंत्र (ज) फोटो वोल्टाइक सैल चाहे मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहीं अथवा पैनलों में बना है । व्याख्या: यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल का किसी प्रदायकर्ता के द्वारा प्रदाय किया जाता है और इसके साथ ही अन्य माल और सेवाओं का भी प्रदाय होता है तथा उनमें से एक, जिस पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं में आती हो, तो इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए मालों के प्रदाय का मूल्य ऐसे सभी प्रदायों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल के सत्तर प्रतिशत तक माना जाएगा तथा प्रभारित सकल प्रतिफल का बाकी तीस प्रतिशत उक्त कराधेय सेवा के मूल्य के रूप में माना जाएगा।";
-------	-----------------	--

- (v) क्रम संख्या 205क से 205ज तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 232 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

ग. अनुसूची III – 9% में,-

- (i) क्रम संख्या 26ख और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित
26घ	2602	शुष्क भार पर संगणित मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों सहित और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री के साथ
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26झ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ञ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ट	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ठ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स";

- (ii) क्रम संख्या 101 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“101क	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट, पैरिंग्स और स्क्रेप”;
-------	------	---

- (iii) क्रम संख्या 153क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी प्रकार के कागज या पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और समरूप वस्तुएं”;
-------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 157 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“157क	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या समरूप प्रयोजनों के लिए प्लान और ड्राईंग, मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित उद्धरण; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्दे के समान टिकटें जिसमें उनके पास एक मान्यताप्राप्त अंकित मूल्य है, या होगा; स्टाम्प—प्रभावित कागज; बैंकनोट; बैंक फार्म; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण—पत्र और शीर्ष के समान दस्तावेज [ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा]
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड्स, व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या घोषणाओं वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफाफे या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों
157ङ	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी भी प्रकार के कैलेंडर मुद्रित
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सहित अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग तथा सदृश, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिजाइन और फोटोग्राफ, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या समरूप प्रयोजनों के लिए प्लान और ड्राईंग कंप्यूटर की सहायता से पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य यन्त्र”।

- (v) क्रम संख्या 398 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“398क	8601	किसी बाह्य विद्युत स्रोत या विद्युत एक्यूमीलेटर द्वारा चलने वाले रेल लोकोमोटिव्स
398ख	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव्स; लोकोमोटिव परिचारक; जैसे डीजल—विद्युत लोकोमोटिव्स, भाप से चलने वाले लोकोमोटिव्स और इसके परिचारक
398ग	8603	स्वचालक रेलवे या ट्रामवे कोचेस, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 से भिन्न
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे स्वचालित हों अथवा नहीं (उदाहरण के लिए, कार्यशाला, क्रन्स, ब्लास्ट टेम्पर्स, ट्रैक लाइनर्स, टेस्टिंग कोचेस और ट्रैक जांच वाहन)
398ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री कोचेस जो स्वचालित न हों; मालगाड़ी, डाकघर कोचेस और अन्य विशेष प्रयोजन के लिए रेलवे या ट्रामवे कोचेस, जो स्वचालित न हों (शीर्ष 8604 को छोड़कर है)
398च	8606	रेलवे या ट्रामवे मालगाड़ी और वैगन, जो स्वचालित न हों

398छ	8607	रेलवे के भाग या ट्रामवे लोकोमोटिव्स या रॉलिंग-स्टॉक; जैसे रेल डिब्बे, बिसल-रेल डिब्बे, एक्सलस और पहिये, और इनके भाग
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे की पटरियों के फिक्सचर और फिटिंग; यांत्रिक सिग्नल (विद्युत-यांत्रिक सहित), रेलवे, ट्रामवे, सड़क, इन्लैंड जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापना या एयरफील्ड की सुरक्षा या ट्रैफिक नियंत्रण यंत्र; उपरोक्त के भाग";

- (vi) क्रम संख्या 447 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ड टिप्ड और अन्य पोरस-टिप्ड पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन धारक, पेंसिल धारक और समान धारक; पूर्वगामी सामग्रियों के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के अलावा अन्य"

घ. अनुसूची IV— 14% में,—

- (i) क्रम संख्या 12क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"12ख	2202	फ्रूट-ड्रिंक के कार्बोनेटेड बेवरेज या फल रस के साथ कार्बोनेटेड पेय";
------	------	--

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2021

No. 50/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 and Sub-section (5) of Section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

1. In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

- (i) after Serial Number 71 and entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"71A	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing";
------	------	--

- (ii) Serial Number 138 to 148 and the entries thereagainst shall be omitted;
(iii) after Serial Number 186 and entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"186A	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel";
-------	------	--

- (iv) Serial Number 187A and the entries thereagainst shall be omitted;
(v) Serial Number 234 and the entries thereagainst shall be omitted;

(vi) in List 1, after item number 231 and the entries thereagainst, the following shall be inserted, namely: -

“(232) Pembrolizumab (Keytruda)”;

(vii) in List 3, after item number (B) (2) and the entries thereagainst, the following shall be inserted, namely: -

" (3) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled”;

B. in Schedule II – 6%, -

(i) against Serial Number 80A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Bio-diesel [other than bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel]”;

(ii) Serial Number 122 and the entries thereagainst shall be omitted;

(iii) Serial Number 127 to 132 and the entries thereagainst shall be omitted;

(iv) after Serial Number 201 and the entries thereagainst, the following Serial Number and entries shall be inserted, namely: -

“201A	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their manufacture (a) Bio-gas plant (b) Solar power based devices (c) Solar power generator (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG) (e) Waste to energy plants / devices (f) Solar lantern / solar lamp (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants (h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels Explanation: If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at Serial Number 38 of the Table mentioned in the notification No.46/ST-2, dated 30thJune, 2017, the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.”;
-------	--------------	---

(v) Serial Number 205A to 205H and the entries thereagainst shall be omitted;

(vi) Serial Number 232 and the entries thereagainst shall be omitted;

C. in Schedule III – 9%, -

(i) after Serial Number 26B and entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“26C	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
26D	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight
26E	2603	Copper ores and concentrates
26F	2604	Nickel ores and concentrates
26G	2605	Cobalt ores and concentrates
26H	2606	Aluminium ores and concentrates
26I	2607	Lead ores and concentrates
26J	2608	Zinc ores and concentrates
26K	2609	Tin ores and concentrates
26L	2610	Chromium ores and concentrates”;

- (ii) after Serial Number 101 and entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“101A	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics”;
-------	------	---

- (iii) for Serial Number 153A and the entries thereagainst, the following Serial Number and the entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“153A.	4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like”;
--------	------	---

- (iv) after Serial Number 157 and the entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“157A.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing.
157B.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title [other than Duty Credit Scrips]
157C.	4908	Transfers (decalcomanias)
157D.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings
157E.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks
157F.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices”;

- (v) after Serial Number 398 and the entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“398A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
398B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof.
398C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
398D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).
398E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).
398F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.
398G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
398H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.”;

- (vi) against Serial Number 447, in column (3), for the entry, the entry “Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609.”, shall be substituted;

D. in Schedule IV – 14%, -

- (i) after Serial Number 12A and entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“12B	2202	Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice”;
------	------	--

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.